प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस उद्योग में क्लोरीन का उत्पादन करने के कार्य को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ): प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात के वापी औद्योगिक परिसर में नार्वे की सहायता से कोई भी क्लोरीन फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों में भारतीय सैनिक

575. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में सम्मिलित किए गए भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्रवाइयों में मारे गये सैनिकों की मिशन-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मिशन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, जिन्हें अभी मुआवजे का भुगतान किया जाना है अथवा जिन्हें इस मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 21 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार कुल 2047 भारतीय रक्षा कार्मिकों (सभी रैंक) को विदेश में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के विभिन्न मिशनों में तैनात किया गया था।

(ख) विगत 3 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्रवाइयों में कम्बोडिया में 4, मोजाम्बिक में 2 और सोमालिया में 14 भारतीय रक्षा कार्मिक मारे गए।

(ग) सभी दिवंगत सैन्य कार्मिकों के परिवारों को परिवार पेंशन और उपदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

युद्ध अथवा युद्ध सदृश संक्रियाओं में मारे जाने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों के परिवारों को उन सेना कार्मिकों द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन तथा सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर परिवार उपदान दिया जाता है। इसके अलावा ये परिवार अनुकंपा के आधार पर रोजगार तथा सेना सामूहिक बीमा योजना आदि के तहत लाभ सहित विभिन्न लाभ पाने के भी हकदार हैं।

संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्रवाइयों में मारे जाने वाले सैन्य कार्मिकों को अदा की जाने वाली पेंशन संबंधी राशि की राष्ट्रीय करनून के अनुसार प्रतिपूर्ति करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके महासचिव द्वारा यह निर्धारित करने पर कि मृत्यु, घायलावस्था या बीमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की जाने वाली ड्यूटियों के कारण हुई है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों को अधिकतम 50,000 अमरीकी डालर अथवा संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों के भत्तों रहित वार्षिक बेस वेतन की दुगनी राशि, इनमें से जो भी कम हो, की मुआवजे के रूप में अदायगी करता है।

Essential Supplies/Financial Assistance in J&K

576. **SHRI RAMDAS AGARWAL:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether government are aware that the major amount/quantum of the financial assistance/essential supplies which is intended for the development purposes of Jammu and Kashmir is being grabbed/forcibly snatched by militants;

(b) whether Governemnt's attention has been drawn to a press release issued in Jammu on 16th July, 1995 by Defence authorities saying "in a strange move, the J&K traffic police have stopped the movement of army-hired civil trucks carrying day-to-day essential items for soldiers deployed in the Kashmir Valley and far-flung areas of Ladakh region"; and

(c) if so, what preventive measures Government propose to take to ensure that all central assistance/supply of essential items reach the hands of needy?